

# सामुदायिक बीज बैंक

## तिलहन और दलहन के बीज के लिए



## अब बीज हुआ आपना

### सामुदायिक बीज बैंक कार्य कैसे करता है ?

- 1 जब आपकी फसल की कटाई पूरी हो जाए, बीज को बीज-बैंक में जमा करवाएँ।
- 2 इसके लिए सबसे पहले सामुदायिक बीज बैंक में जाकर अपना बीज-खाता खुलवाएँ।
- 3 बीज बैंक से निःशुल्क पासबुक एवं बीज खाता संख्या प्राप्त करें।
- 4 जब आपको बीज जमा करवाना हो बीज बैंक में जाकर बीज जमा करने वाली रसीद भरें और बीज करवाने हेतु दें। इस प्रक्रिया में आपसे कोई शुल्क नहीं ली जाएगी।
- 5 बीज जमा कराने से पहले आपको क्यू.सी. में बीज जाँच हेतु फॉर्म भरना होगा, जिसकी शुल्क मात्र 10/- रुपये है। फॉर्म भर कर फॉर्म नंबर प्राप्त करें।
- 6 पाँच दिन में आपके द्वारा दिए गए बीज की जाँच-रिपोर्ट आने के बाद स्वीकृत होने पर आपका बीज बैंक में जमा कर लिया जाएगा, जिसकी शुल्क मात्र 30/- रुपये है।
- 7 शुल्क अदा करने के बाद जमा किए गए बीज की पासबुक में एन्ट्री कराएँ।
- 8 आपको जब भी मौसम के अनुसार दलहन या तिलहन के बीज की जरूरत हो, तब बीज निकासी रसीद भर कर जमा करें। बीज निकासी की शुल्क मात्र 30/- रुपये अदा करें और तुरंत बीज प्राप्त करें व पासबुक में एन्ट्री कराएँ।

